चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 17.09.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन, चित्रकूट स्थित परिवहन शाखा में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा-अर्चना हर्षोल्लास एवं पूर्ण विधि-विधान के साथ सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा परिवहन शाखा में भगवान विश्वकर्मा जी का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स श्री राजकमल, प्रभारी आरआई, परिवहन शाखा के प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारीगण सहित अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।
पूजा-अर्चना के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान विश्वकर्मा जी का विधि-विधानपूर्वक पूजन किया गया। इस अवसर पर परिवहन शाखा में उपलब्ध शासकीय वाहनों एवं उपकरणों की सुरक्षा, सुचारू संचालन तथा जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कामना की गई।
कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित समस्त अधिकारियों, पुलिस कर्मियों एवं अन्य आगंतुकों को प्रसाद वितरित किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अमरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली कर्वी मु0नं0 1731/2012 मु0अ0सं0 208/2012 धारा 147,148,149,448,337,323,504,506,427 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र राजकुमार पटेल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बनकट कर्वी जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया।

(4). आज दिनांक 17.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा डायल-112 कार्यालय एवं फील्ड यूनिट टीम कार्यालय का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों एवं विभिन्न रजिस्टरों का अवलोकन किया गया तथा अभिलेखों को नियमानुसार अद्यावधिक एवं व्यवस्थित रखने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक डायल-112 एवं फील्ड यूनिट प्रभारी को निर्देशित किया गया कि डायल-112 के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा फील्ड यूनिट टीम द्वारा अपने दायित्वों का तत्परता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया जाए।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने तथा पुलिसिंग कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया एवं बेहतर समन्वय बनाए रखने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।
आवेदिका महिमा पत्नी मनीष कुमार ने अपने पति के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,गाली गलौज एवं मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी श्रीमती अनुपमा तिवारी एवं महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह

होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र

2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार एवं उनकी टीम द्वारा चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक 17.09.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में वादिया रेखा साहू पत्नी राजेद्र साहू निवासी गल्ला मंडी तिराहा शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि उसका पुत्र उज्ज्वल साहू उम्र करीब 28 वर्ष दिनांक 16.09.2026 को शाम 08.30 बजे काम से काली देवी तिराहा गया हुआ था जहां पर आरोपीगण 1.अमन पटेल पुत्र कुशल सिंह 2.मानेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात 3.अमन यादव पुत्र अज्ञात निवासीगण बनवारीपुर मोड थाना कर्वी व एक नाबालिग द्वारा गाली गलौज मारपीट करते हुये चाकू से हमला किया गया, जिससे चाकू उनके पुत्र उज्ज्वल की पीठ में फंस गया। घायल उज्जवल जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर किया गया है। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 558/26 धारा-109(1),118(2),352,351(3) बीएनएस बनाम 1.अमन पटेल पुत्र कुशल सिंह 2.मानेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात 3.अमन यादव पुत्र अज्ञात निवासीगण बनवारीपुर मोड थाना कर्वी 4. एक नाबालिग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

उ0नि0 राजेश कुमार एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1.अमन सिंह पटेल पुत्र कुशल सिंह निवासी बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट व एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार

2.आरक्षी कृष्णकान्त

3.आरक्षी अनिल कुमार

(7).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री राममणि पाठक द्वारा दिनाँक 17.09.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2013 धारा 394,412 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त 1. विष्णु कुशवाहा पुत्र जौहरी निवासी छिपटहरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट व अभियुक्त ललई कुशवाहा उर्फ रामकिशोर पुत्र गोरेलाल निवासी छिपटहरी तरौहा थाना कोतवाली कर्वी को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा मु0अ0सं0 370/2013 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी

अभियुक्त विष्णु कुशवाहा पुत्र जौहरी निवासी छिपटहरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 1000/- रूपये के अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.03.2013 को वादी सुनील कुमार सचदेव पुत्र स्व0 नानकराम निवासी प्रणामी मंदिर सब्जी मंडी थाना कोतवाली सिटी जनपद सतना द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में तहरीर दिया कि कि वह सुरेश कुमार फर्म में मुनीम का काम करता है ।वह फर्म की वसूली के लिये कर्वी चित्रकूट आया था जिसके पास लगभग 8,77000/- रुपये थे जो कैश लेकर कर्वी से रामघाट होते हुये सतना बस स्टैण्ड जा रहा था तभी दो व्यक्तियो द्वारा टैक्सी ड्राईवर की आंख में मिर्चा पाउडर डालकर तथा आवेदक के ऊपर चाकू से हमला करके रुपयो से भरा बैग लेकर भाग गये । सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 285/2013 धारा 394,412 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 योगेन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना में अभियुक्तगण उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया । दिनांक 22.05.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।